न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

प्रकरण सं0–– 103/2020

प्रविष्टि दिनांक – 01.10.2020

उनवान

1. मुकुट बिहारी पुत्र लादूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक
2. हरिमोहन पुत्र लादूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक
3. महेश पुत्र लादूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी अरनियामाल तहसील व जिला टोंक

–वादीगण/आवेदकगण

बनाम

तहसीलदार टोंक

– प्रतिवादी/अप्रार्थी

उपस्थित–श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा– वकील वादी/आवेदक
श्री अर्जूनलाल मीणा– पैरोकार सरकार

निर्णय

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक – 22/01/2021

आवेदकगण ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–251ए राजस्थान अभिघृति(संशोधन) अधिनियम 2010 के तहत जरिये अभिभाषक पेश किया, जिसका संक्षेप्त में विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 1227 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम अरनियामाल में स्थित है जिसका अंकन खाता संख्या 283 में है जिसके आवेदकगण स्वामी एंव खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि के उत्तरी पश्चिम ओर सरकारी भूमि खसरा नम्बर 1229 रकबा 2 बीघा है, आवेदकगण अपनी उक्त खातेदारी कब्जे की भूमियों में गत 70–80 साल से खसरा नम्बर 1229 की दक्षिणी मेड के सहरो बने हुए रास्ता जिसे संलग्न नक्शा ट्रेस फोटो प्रति में प्रदर्शित डोटेड लाईन से प्रदर्शित किया गया है, में बने हुए रास्ता से हाकर अपनी भूमि में आते जाते रहे है ओर इसी रास्ते का आवेदकगण वर्षो से अपनी आराजी को काश्त करने के लिए हल, कुली, ट्रक्टर आदि लाते ले जाते रहे है इसी रास्ते से अपनी फसल पेदावार को लाते रहे है। सरकारी भूमि होने से आये दिल गांव के लोगों द्वारा अतिक्रमण करके रास्ते को बन्द कर देते है तथा उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर देते है ओर आवेदकगण को उनकी खातेदारी की उक्त भूमि में आने जाने में बाधा उत्पन्न करते है। अतिक्रमण हटाने पर विवाद करते है। उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता आदेवकगण के पास नहीं है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र पेशकर कर निवेदन है कि आवेदकगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1227 वाके ग्राम अरनियामाल में आने जाने कृषि यन्त्र, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए प्रतिपक्षी की भूमि खसरा नम्बर 1229 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम अरनियामाल तहसील टोंक में से पूर्व पश्चिम लम्बाई में (मौके अनुसार) तथा उत्तर दक्षिण चौडाई में 20 फीट का रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान किया जाये तथा उक्त रास्ते को नक्शाशीट में रास्ते के रूप में प्रदर्शित किया जाये।

अपने आवेदनपत्र में अंकित बिन्दुओं को साबित करने के लिए आवेदक ने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात–खसरा गिरदावरी, नक्शाट्रेस, जमाबन्दी, नक्शाट्रेस फोटोप्रति पेश की गयी है।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षी को तलब किया गया। तहसीलदार टोंक प्रतिपक्षी की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब में पेश किया कि वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट के अनुसार वादी के खसरा नम्बर 1227 में आने–जाने के लिए खसरा नम्बर 1229रकबा 2 बीघा किस्म गैरमुमकीन माल जो सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड है, में से रास्ता दिया जाना उचित है। अतः वादी के वादपत्र अनुसार वाद स्वीकार योग्य है।

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी एंव उसके जवाब तथा प्रार्थना पत्र 251ए पर अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं विपक्षी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने बहस के दौरान अपने अपने प्रार्थना पत्र एंव जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रतिपक्षी आवेदक के आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओं से सहमत है। इस प्रकार उक्त

मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आवेदकगण को उसके खातेदारी भूमि पर आने–जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है तथा मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। उक्त तथ्य सुखाचार का तथ्य है और काश्तकार के सुखाचार हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 'क' के अनुसार अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाईपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना हो,और यदि मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो तो ऐसी स्थिति मे आवेदक को अन्य खातेदार की भूमि मे अधिकतम 30 फिट का रास्ता दिया जा सकता है, इसकी उपधारा के अनुसार दिये गये मार्ग को राजस्व अभिलेखो मे 'रास्ता' के रूप मे अभिलिखित की जायेगी। अतः उक्त अधिनियम के तहत सुखाचार मे आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार करना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलस्वरूप आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर, आवेदकगण को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1227 वाके ग्राम अरनियामाल में आने जाने कृषि यन्त्र, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए उक्त भूमि की डीएलसी रेट का दुगुना मुआवजा भुगतान की दशा में प्रतिपक्षी की भूमि खसरा नम्बर 1229 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम अरनियामाल तहसील टोंक में से पूर्व पश्चिम लम्वाई में (मौके अनुसार) तथा उत्तर दक्षिण चौडाई में 20 फीट का रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान किये जाते है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त रास्ते को नक्शाशीट में रास्ते के रूप में प्रदर्शित किया जाये। तहसीलदार टोंक को उक्तानुसार पालना कर, नियमानुसार कार्यवाही एवं नियमानुसार राशि वसूली कर, आवेदक को रास्ता दिया जाकर, राजस्व रिकार्ड मे अंकन कर पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक २२/०१/२०२१ को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज0)

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)